

State through Raghunandan Paswan Vs Subhash Singh and others
GR No. 1703 of 2018
Khagaria SC/ST PS Case No. 17 of 2018
CIS No. 54 of 2018)

जिला- खगड़िया

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम-सह- विशेष
न्यायाधीश, SC/ST Act, खगड़िया

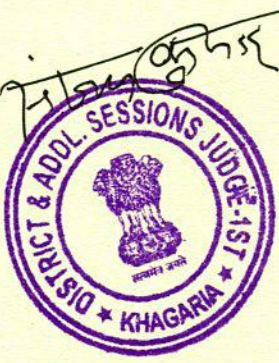
GR No. 1703 of 2018
Khagaria SC/ST PS Case No. 17 of 2018
CIS No. 54 of 2018)

राज्य (द्वारा रघुनंदन पासवान)....अभियोजन पक्ष/ सूचक

ब न म

1. सुभाष सिंह उर्फ सुभाष चन्द्र सिंह,
पिता-दरोगी सिंह
2. अनिल साह,
पिता-मेदन साह
3. प्रमोद ठाकुर,
पिता-श्यामदेव ठाकुर
4. मो० अब्दुल रज्जाक उर्फ मो० रज्जाक
पिता-सामो उद्दीन
5. गफरुद्दीन उर्फ अफरु उद्दीन,
पिता-डोमी उद्दीन
6. खुशीथ मियाँ उर्फ खुशीद मियाँ,
पिता-हकीम मियाँ
7. ललन साह,
पिता-सुखो साह
8. राजेश शर्मा उर्फ राजेश तौंती,
पिता-छोटेलाल शर्मा
9. सकलदेव राम उर्फ सकलदेव तौंती,
पिता-छोटेलाल शर्मा
10. मंगलुद्दीन,
पिता-सलीम उद्दीन
11. सोगारथ यादव,
पिता-रामदेव यादव
12. निरोज उद्दीन,
पिता-मो० मोसिम उद्दीन
13. सलीम उद्दीन,
पिता-करामत उद्दीन
14. फिरोज उद्दीन,
पिता-मो० मोसिम उद्दीन
15. मो० बाबर उर्फ मो० सत्तार,
पिता-मौसिम उद्दीन
16. बृजलाल मिस्त्री
पिता-जंगली मिस्त्री
साकिन-लेवा, थाना महेशखूँट, जिला खगड़िया।

..... अभियुक्तगण



State through Raghunandan Paswan Vs Subhash Singh and others
GR No. 1703 of 2018
Khagaria SC/ST PS Case No. 17 of 2018
CIS No. 54 of 2018)

आरोपित धाराएँ 447/34, 504/34 IPC, U/s 3(1)(r)(s) SC/ST Act

अभियोजन की ओर से - श्री चन्द्रभूषण प्रसाद सिंह
विद्वान विशेष लोक अभियोजक।

अभियुक्त की ओर से - श्री रंजन कुमार, विद्वान अधिवक्ता।

उपस्थित : **संजय कुमार-II**
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
प्रथम-सह- विशेष न्यायाधीश,
SC/ST Act, खगड़िया।

खगड़िया, दिनांक 02री जून 2026

नि र्ण य

1. प्रस्तुत वाद में अभियुक्त सुभाष सिंह उर्फ सुभाष चन्द्र सिंह, अनिल साह, प्रमोद ठाकुर, मो० अब्दुल रज्जाक उर्फ मो० रज्जाक, गफरुद्दीन उर्फ अफरु उद्दीन, खुशीथ मियाँ उर्फ खुर्शीद मियाँ, ललन साह, राजेश शर्मा उर्फ राजेश ताँती, सकलदेव राम उर्फ सकलदेव ताँती, मंगलुद्दीन, सोगारथ यादव, निरोज उद्दीन, सलीम उद्दीन, फिरोज उद्दीन, मो० बाबर उर्फ मो० सत्तार, बृजलाल मिस्त्री के विरुद्ध धारा 447/34, 504/34 IPC, U/s 3(1)(r)(s) SC/ST Act के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया है, जिनका वे सामना कर रहे हैं।

2. यह वाद सूचक रघुनंदन पासवान के लिखित आवेदन पर आधारित है, जिसमें उसका वाद संक्षेप में यह है कि मेरा जमीन लेवा मौजा में पड़ता है, जिसका खाता नं० 159 वो 160, खेसरा नम्बर 408 वो 316 है, जिसमें कुल एक बीघा 11 दस कट्ठा जमीन है। लेवा ग्रामीण विचाराधीन अभियुक्तगण मिलकर मेरे पैतृक जोत के जमीन में बीचों-बीच सड़क बना रहे थे तथा जेसीबी से मिट्टी काट रहे थे। जब मुझे पता चला तो मैं दिनांक 11.05.2018 को सुबह जाकर देखा तो उक्त सभी से बोला कि आपलोग किसी एक तरफ से सड़क बनाईए। इतना कहने पर उक्त सभी मुझे जाति का नाम लेकर गाली-गलौज करने लगा तथा मारपीट करने पर उतारु हो गया।



State through Raghunandan Paswan Vs Subhash Singh and others

GR No. 1703 of 2018

Khagaria SC/ST PS Case No. 17 of 2018

CIS No. 54 of 2018)

3. सूचक के द्वारा दिये गये फर्दब्यान के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी तथा अनुसंधानोपरान्त अनुसंधानकर्ता द्वारा आरोप पत्र समर्पित किया गया। तदनुरूप अपराध का संज्ञान लिया गया।

4. न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे सिद्ध करने में सफल रहा है अथवा नहीं ?

म न त ट य

5. अभियोजन की ओर से अपने वाद के समर्थन में एकमात्र सूचक साक्षी रघुनंदन पासवान का साक्ष्य अभियोजन साक्षी संख्या 01 के रूप में कराया गया है तथा उन्होंने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना वर्ष 2018 की है। घटना के समय 9 बज रहा था। उस समय मैं अपने खेत पर था। सभी ललोग मटकी फोड़ने लगे। मुदालहगण मुझे खेत से भगा दिया। मेरे जमीन में रास्ता बनाने के लिए। मैंने रोका तो मुझे भागो साले यहाँ से बोलकर भगा दिया। मारा पीटो साले को यहाँ नहीं रहने देंगे। इस साक्षी ने घटना का आंशिक रूप से समर्थन किया है किन्तु मटकी फोड़ने की बात उसने प्राथमिकी में नहीं कहा है। प्रति परीक्षण में इस साक्षी से बचाव पक्ष के द्वारा कोई तथ्यपरक पृच्छा नहीं की गयी है। इस साक्षी के बयानों की संपुष्टि के लिए किसी अन्य साक्षी का साक्ष्य अभियोजन द्वारा नहीं कराया गया है। जबकि इस वाद में अन्य साक्षियों का साक्ष्य कराया जाना आवश्यक था। अभियोजन को अन्य साक्षियों के उपस्थापन हेतु पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है। ऐसा कोई भी साक्षी या साक्ष्य अभियोजन द्वारा अभिलेख पर नहीं लाया गया है, जिससे अभियोजन का वाद सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे प्रमाणित हो सके।

आदेश

6. अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों के परिशीलन के आधार पर न्यायालय यह पाती है कि अभियोजन अभियुक्त

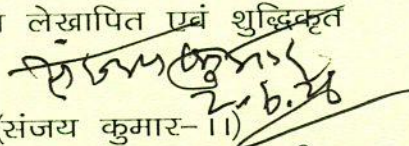


State through Raghunandan Paswan Vs Subhash Singh and others
GR No. 1703 of 2018
Khagaria SC/ST PS Case No. 17 of 2018
CIS No. 54 of 2018)

सुभाष सिंह उर्फ सुभाष चन्द्र सिंह, अनिल साह, प्रमोद ठाकुर, मो० अब्दुल रज्जाक उर्फ मो० रज्जाक, गफरुद्दीन उर्फ अफरु उद्दीन, खुशीथ मियाँ उर्फ खुशीद मियाँ, ललन साह, राजेश शर्मा उर्फ राजेश तौंती, सकलदेव राम उर्फ सकलदेव तौंती, मंगलुद्दीन, सोगारथ यादव, निरोज उद्दीन, सलीम उद्दीन, फिरोज उद्दीन, मो० बाबर उर्फ मो० सत्तार, बृजलाल मिस्त्री के विरुद्ध गठित धारा 447/34, 504/34 IPC, U/s 3(1)(r)(s) SC/ST Act के आरोपों को युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में अभियोजन असफल रहा है। ऐसी परिस्थिति अभियुक्त दोषमुक्ति के योग्य हैं। फलतः अभियुक्त सुभाष सिंह उर्फ सुभाष चन्द्र सिंह, अनिल साह, प्रमोद ठाकुर, मो० अब्दुल रज्जाक उर्फ मो० रज्जाक, गफरुद्दीन उर्फ अफरु उद्दीन, खुशीथ मियाँ उर्फ खुशीद मियाँ, ललन साह, राजेश शर्मा उर्फ राजेश तौंती, सकलदेव राम उर्फ सकलदेव तौंती, मंगलुद्दीन, सोगारथ यादव, निरोज उद्दीन, सलीम उद्दीन, फिरोज उद्दीन, मो० बाबर उर्फ मो० सत्तार, बृजलाल मिस्त्री को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है एवं उन्हें एवं उनके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

यह निर्णय मेरे द्वारा उभयपक्ष की उपस्थिति में खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

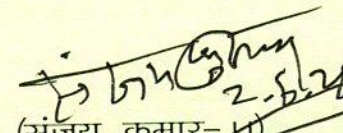
मेरे द्वारा लेखापित एवं शुद्धिकृत


(संजय कुमार-II)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
प्रथम-सह- विशेष न्यायाधीश,
SC/ST Act, खगड़िया।

02.06.2026




(संजय कुमार-II)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
प्रथम-सह- विशेष न्यायाधीश,
SC/ST Act, खगड़िया।

02.06.2026

